न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 26/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

अशोक कुमार पुत्र रामचरण मीना, निवासी सीमल्या (अप्रार्थी)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2. श्री हरिओम चतुर्वेदी एडवोकेट (अप्रार्थी)

आदेश दिनांक– 25.07.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में ग्राम सीमल्या की आराजी खसरा नंबर 417/736 रकबा 0.16 है. किस्म नहरी I अप्रार्थी के खाते दर्ज है। ग्राम सीमल्या की बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत 2014 से 2023 में खसरा नं. 300 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान सेटलमेट 2044 से 2023 में भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नवीन खसरा नं. 417 रकबा 0.44 है0 किस्म गैर मुमकिन नाला कायम किये है। भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट कार्य गै.मु. नाला की किस्म नहरी I दर्ज कर खसरा नं. 417/736 रकबा 0.16 है0 को अवैधानिक रूप से अप्रार्थी अशोक कुमार पुत्र रामचरण जाति मीना निवासी ग्राम सीमल्या के खाते दर्ज कर दिया है जो अवैधानिक है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

उक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत गै.मु. नाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी जर्ये अभिभा[illegible] की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश किया कि खसरा नं. 4[illegible]73 [illegible]त्रफल 0.16 है. समतल भूमि है, जिस पर प्रतिवादी आवंटन दिनांक [illegible] नही है। खसरा नं. 417/73 क्षेत्रफल 0.16 है. की किस्[illegible] तत्समय समतल भू[illegible] से राजस्व रिकॉर्ड में किस्म परिवर्तन उपरान्त उक्त आराजिया[illegible] आवंटन नियमों के अ[illegible]आवंटन कमेटी द्वारा अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन काश्तगार को आवंटन की। खसरा नं.[illegible]73 की आराजियात पर नियमित कब्जे के आधार पर आवंटी काश्तगार को विधिवत खातेदारी प्रदान की। वर्तमान में

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.04 17:08:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

आवंटी उक्त आराजी को काश्त कर रहा है। प्रार्थी ने वर्तमान खसरा नं. 417/73 साबिक खसरा नं. 300 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा में हुये भौगोलिक परिवर्तन के अनुसार मौजूदा भौगोलिक स्थिति किस्म तलहटी होने से बन्दोबस्त विभाग द्वारा बन्दोबस्त कार्यवाही सम्वत् 2044 से 2063 में राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नं. 417/73 रकबा 0.16 है. कायम किये। उक्त आराजी कृषि काश्त हेतु उपयुक्त होने के आधार पर ही आवंटन की गई। वर्तमान में खसरा नं. 417/73 की आराजी समतल भूमि होने से काबिल काश्त आराजी है जिसके आस पास कही भी नाले के अस्तित्व नही है। उक्त आराजियात के आसपास काश्त भूमि है। उक्त रिकॉर्डेड तथ्यो को अनदेखा कर प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार बारां ने प्रतिवादी के कब्जे काश्त की खसरा नं. 417/73 की आराजी की वर्ममान मौका स्थिति जांच किये बिना उक्त रेफरेंस पेश किया है। जो जांच विहीन, एवं तथ्य विहीन तथा अवधिपार होने से निरस्तनीय है। अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय की गलत व्याख्या कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र मनमाना असंगत होने से निरस्तनीय है। अब्दुल रहमान वाली रिट याचिका में प्रतिवादी पक्षकार नही होने से रिट याचिका कमांक 1536/2003 में पारित निर्णय से प्रतिवादी पाबंद एवं आबद्ध नही है। उक्त निर्णय की पालना किये जाने से प्रतिवादी के साम्पत्तिक अधिकारों का हनन होगा। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जवाब प्राप्त होने पर हमने प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी।

3— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम सीमल्या की बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत 2014 से 2023 में खसरा नं. 300 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा किस्म गै.मु. नाला दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान सेटलमेट 2044 से 2023 में भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नवीन खसरा नं. 417 रकबा 0.44 है0 किस्म गै.मु. नाला कायम किये है। भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट कार्य गै.मु. नाला की किस्म नहरी I दर्ज कर खसरा नं. 417/736 रकबा 0.16 है0 को अवैधानिक रूप से अप्रार्थी अशोक कुमार पुत्र रामचरण जाति मीना निवासी ग्राम सीमल्या के खाते दर्ज कर दिया है जो अवैधानिक है।

उक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा—16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः भूमि साबिक खसरा नं. 300 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा नवीन खसरा नं. 417/736 रकबा 0.16 है. को शून्य घोषित कर पूर्व की स्थिति गै.मु. नाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जावें। अतः प्रार्थी तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा—82 भू राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

4— अभिभाषक अप्रार्थी ने पेरोकार सरकार के उक्त कथन का खण्डन करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि विवादित आराजी वर्तमान में समतल काश्त योग्य भूमि है जिसके आस [illegible] काश्त योग्य भूमि स्थित है। मौके पर कोई नाला नहीं है। अतः रेफरेन्स [illegible] कथन के समर्थन में अभिभाषक अप्रार्थी ने विधि दृष्टांत आरआरटी 2016(1) [illegible] बनाम राजस्थान सरकार पृ.सं. 718, बउनवान राजस्थान सरकार बनाम चतुर्भुज व अन्य पृ.सं. 396, बउनवान स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम मंगल व अन्य पृ.सं. 146, आरआरटी 201[illegible]) बउनवान स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम कान्ती देवी व अन्य पृ.सं. 1367, आरआरटी 2019 (1) बउनवान स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम गुलाब बाई

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.04 17:08:21 IST
Reason: SelfAttested

व अन्य पृ. सं. 622, दीवानी निर्णय जोरनल राजस्थान उच्च न्यायालय 2020(4) बउनवान अल्ट्रा टेक सीमेन्ट लिमि. बनाम राज0 सरकार व अन्य पृ. सं. 897 की छायाप्रतियां प्रस्तुत कर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की।

5— हमने उभयपक्ष की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन करने पर पाया जाता है कि सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत् 2044 से 2063 में भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार नवीन खसरा नं. 417 रकबा 0.44 है0 किस्म गै.मु. नाला कायम किये है। भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट कार्य गै.मु. नाला की किस्म नहरी । दर्ज कर खसरा नं. 417/736 रकबा 0.16 है0 को अवैधानिक रूप से अप्रार्थी अशोक कुमार पुत्र रामचरण जाति मीना निवासी ग्राम सीमल्या के खाते दर्ज कर दिया है, जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थी को जिस वक्त भूमि आवंटित की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.नाला खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आराजी का आवंटन नियम विरूद्व हुआ है।

6— अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थी को आवंटित आराजी खसरा नम्बर 417/736 रकबा 0.16 है. का आवंटन अप्रार्थी को विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7— परिणामस्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी के वर्तमान में वाके ग्राम सीमल्या में दर्ज आराजी खसरा नं. 417/736 रकबा 0.16 है0 किस्म नहरी । को जो मूल रूप से सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नंबर 417 रकबा 0.44 है. किस्म गैर मु. नाला से बना है जिसका अप्रार्थी को गलत रूप से आवंटन हुआ है, आवंटन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

8— तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 25.07.2022 लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.04 17:08:21 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)